प्रपत्रः–8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः– अटल सेवा केन्द्र, एड सिणधरी)

प्रकरण सं.– 133/2018

दिनांकः–20.6.2018

क्रमांकः–लो.अदा./2018/ 1215

आदेश

वादी श्री खेताराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पोटलियों की ढाणी की खसरा संख्या 1864/4,1872/1,1926 कुल रकबा 35–13 बीधा व ग्राम नई कमठाई तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 389/123 रकबा 32–18 बीधा एवं ग्राम एड मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 134,183,184,188,203 कुल रकबा 100–16 बीधा भूमि मेरे पिता पनाराम की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। खेताराम के स्थान पर रावता दर्ज कर दिया गया। जबकि मेरा वास्तविक नाम रावता न होकर खेताराम है। अतः वादग्रस्त भूमि में रावता के स्थान पर खेताराम दर्ज किया जावें।

वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के वादपत्र की जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। वादी एवं वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार श्री अणदाराम,श्रीमति अमरूदेवी,नवलाराम के बयानात कलमबद्व कर शामिल मिसल किये गये।

तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार ग्राम पोटलियों की ढाणी की खसरा संख्या 1864/4,1872/1,1926 कुल रकबा 35–13 बीधा व ग्राम नई कमठाई तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 389/123 रकबा 32–18 बीधा एवं ग्राम एड मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 134,183,184,188,203 कुल रकबा 100–16 बीधा भूमि के तत्कालीन सहखातेदार पनाराम के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण के नाम में तत्कालीन पटवारी की भूल से खेताराम के स्थान पर रावता दर्ज किय गया। जबकि वास्तविक नाम खेताराम है। व वादी एवं वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारान श्री अणदाराम,वादी का भाई नवलाराम एवं वादी की माता श्रीमति अमरू देवी द्वारा अपने अपने बयानों में स्वीकार किया है,कि वादी का वास्तविक नाम रावता न होकर खेताराम हैं,और वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम खेताराम दर्ज किया जाता है,तो हम सहमत है।व मजमें आम में पुछताछ करने पर पाया कि वादी का वास्तविक नाम रावता न होकर खेताराम है। एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी समग्र जांच रिर्पोट में वादग्रस्त भूमि में रावता के स्थान पर खेताराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम पोटलियों की ढाणी की खसरा संख्या 1864/4,1872/1,1926 कुल रकबा 35–13 बीधा व ग्राम नई कमठाई तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 389/123 रकबा 32–18 बीधा एवं ग्राम एड मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 134,183,184,188,203 कुल रकबा 100–16 बीधा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि रावताराम पुत्र पनाराम के स्थान पर रावताराम उर्फ खेताराम पुत्र पनाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

सहायक कलक्टर

(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

क्रमांकः—लो.अदा. / 2018 / 1216-18 . दिनांकः—20.6.18

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रावताराम उर्फ खेताराम जाति जाट निवासी एण्ड मानजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner